

माननीय उच्च न्यायालय में विचारार्थ
होना अस्वगत कराया।

→ TDR की प्रकॉट 12/01/2025 उच्च
प्रकरण से State की ओर से जब
माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में
प्रस्तुत किया जा चुका है।

→ प्रकरण में विपक्षी Adv ने प्रकरण
माननीय उच्च न्यायालय में विचारार्थ
दान से यह प्रकॉट साबित करने हेतु
निवेदन किया है।

प्रकरण में विपक्षी Adv प्रकरण
की अद्यतन स्थिति (माननीय उच्च न्यायालय
में अस्वगत करावे।

पत्रावली नंबर 30/4/26
को पेश दो।

Dr
16.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

30/4/26 पत्रावली पेश हुई। अस्वगत उपर।
प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली
निर्णय हेतु 01-5-26 को पेश दो।

01/5/26 पत्रावली निर्णय स्वरूप पर पेश हुई। TDR प्रकरण में अस्वगत कराया गया कि
न. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण माननीय High Court Jodhpur
में SBC Writ संख्या 9340/2024 उत्तान
नाथुलाल गुजर व अन्य Vs राजस्थान राज्य विचारार्थ
है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय
के निर्णय तक पत्रावली क्रमल श्रुमार दो।
TDR आसिद को निर्देशित किया जाता है कि
माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय होने पर
आदेश को प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।
ताकि पत्रावली को गुणावगुण पर से प्रकरण
को पुनः नंबर पर लिया जा सके।
तब तक पत्रावली नंबर से प्रकरण व इस
आदेशिका को प्रति TDR आसिद को प्रेषित को
जस

Dr
1-5-26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा